LATEST

NEWS

Election

Date : 8th Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

पर्यवेक्षक ने मतदाता सूची के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों बैठक ली

टोंक। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संचालित मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रथम पर्यवेक्षण आयोग द्वारा नियुक्त रोल पर्यवेक्षक एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर शक्ति सिंह राठौड ने बुधवार को निरीक्षण किया। रोल पर्यवेक्षक ने जिला कलेक्टर कक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं जिले के निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को किया गया था, जिसमें कुल 10,61,950 मतदाता सम्मिलित किये गये है। जिले में 13,156 ऐसे मतदाता जिनकी गत गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 की मतदाता सूची से स्वयं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस जारी कर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है, जिनकी सुनवाई की जाकर नोटिस का निस्तारण 7 फरवरी 2026 तक किया जाना है। संभागीय आयुक्त ने ऐसे मतदाताओं से अपील की हैं कि वे आवश्यक दस्तावेज नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से जमा करवायें, ताकि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित किया जा सके। मतदाता सूची के संबंध में 15 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। जिले के विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा । उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों ने जिले में चल रहे एसआईआर कार्य की सराहना एवं संतोष व्यक्त किया हैघ इसके बाद संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर कार्यालय, डीएसओ ऑफिस और कोषाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरुरी दिशा-निर्देश दिए।

पर्यवेक्षक एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर शक्ति सिंह राठौड ने गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया ।

- संभागीय आयुक्त ने एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया

7 फरवरी तक दावे-आपत्तियां निस्तारित करने के निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रथम पर्यवेक्षण रोल पर्यवेक्षक एवं संभागीय आयुक्त अजमेर शक्ति सिंह राठौड ने बुधवार को किया। इस दौरान रोल पर्यवेक्षक ने जिला कलक्टर कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें कुल 10,61,950 मतदाता शामिल किए गए हैं। जिले में 13,156 ऐसे मतदाता हैं, जिनकी गत गहन पुनरीक्षण 2002 की मतदाता सूची से स्वयं की मैपिंग नहीं हो पाई है। इन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। इन नोटिसों का निस्तारण 7 फरवरी तक किया जाएगा। संभागीय आयुक्त ने संबंधित मतदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित तिथि तक नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं, ताकि उनकी नामावली अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके। मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां 15 जनवरी तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। जिले के विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बैठक के बाद, संभागीय आयुक्त ने कलक्टर, डीएसओ और कोषाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया।

टोंक. कलक्ट्रेट में बैठक लेते संभागीय आयुक्त।

14 फरवरी को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट मेपिंग नहीं होने पर मांगे जा रहे हैं दस्तावेज

संभागीय आयुक्त ने किया एसआईआर का निरीक्षण, 88 हजार वोटर्स सूची से बाहर

भास्कर संवाददाता | टोंक

जिले के विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। उनको नोटिस जारी किए गए तथा आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की अपील की जा रही है।

वर्तमान में जिले में संचालित मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रथम पर्यवेक्षण आयोग द्वारा नियुक्त रोल पर्यवेक्षक एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर शक्ति सिंह राठौड़ ने बुधवार को निरीक्षण किया। रोल पर्यवेक्षक ने कलेक्टर कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं जिले के निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। जिले के विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को किया गया था, जिसमें कुल 10,61,950 मतदाता सम्मिलित किए गए हैं।

जिले में 13,156 ऐसे मतदाता जिनकी गत गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 की मतदाता सूची से स्वयं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें नोटिस जारी कर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है, जिनकी सुनवाई की जाकर नोटिस का निस्तारण 7 फरवरी 2026 तक किया जाना है। संभागीय आयुक्त ने ऐसे मतदाताओं से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेज नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथि तक जमा करवाएं, ताकि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित किया जा सके। मतदाता सूची के संबंध में 15 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। जिले के विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

टोंक किस में 28 हजार नाम हुए बाहर

मतदाता सूची के 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारुप के अनुसार टोंक विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 28 हजार 413 नाम सूची से बाहर हुए थे। इसमें 11 हजार 507 पुरुष, 16 हजार 905 महिलाएं शामिल रहे। इसी प्रकार सबसे कम मालपुरा विधानसभा में नाम बाहर हुए। मालपुरा में 7 हजार 321 महिला, 11 हजार 137 पुरुषों के नाम बाहर हुए हैं। मालपुरा में 3 हजार 552, निवाई में 4467, टोंक में 6400, देवली-उनियारा में 4591 नाम मृत्यु के कारण कटे।

दैनिक भास्कर
बहरोड़/कोटपूतली भास्कर 08-01-2026

समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि बिना जांच और सूचना के नाम हटाए, मुंडावर विधायक ने कहा- नाम वापस जुड़वाएंगे

एसआईआर: बंजारा बस्ती के 270 लोगों के नाम कटे, विरोध जताया

भास्कर न्यूज | नीमराना

एसडीएम ऑफिस के समीप स्थित बंजारा बस्ती लोगों नाम एसआईआर में कटने को लेकर बुधवार को समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर 270 मतदाताओं के नाम पुनः मतदाता सूची में जुड़वाने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वे पिछले करीब 30 वर्षों से यहीं निवास कर रहे हैं और लगातार मतदान करते आ रहे हैं, इसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। बंजारा समाज के रमेशचंद और हजारीलाल ने बताया कि मतदाता सूची से नाम कटने के कारण लोगों में अपने मताधिकार से वंचित होने का भय बना हुआ है। इससे समाज में नाराजगी और असंतोष है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना समुचित जांच और सूचना के नाम हटाया गया है। मामले की सूचना मिलने पर मुंडावर विधायक ललित यादव मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिले। उन्होंने बंजारा समाज के लोगों की समस्याएं सुनते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की और शीघ्र नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दिया। समाज के लोगों ने स्पष्ट किया कि जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष वेद प्रकाश सैनी, केशव प्रजापति, कर्मपाल सिंह चौहान, विष्णु सोनी, सुनील शर्मा, बाबूलाल पीटीआई, संजय यादव, रमेश, गंगा देवी, हजारीलाल, श्याम, जाट, नई देवी, जगदीश, प्रेम देवी, उपमा देवी, सुमित, मीरा, महावीर, श्रवण, मांगीलाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस संबंध में एसडीएम महेंद्र यादव ने बताया कि नाम कटने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से समन्वय कर शीघ्र समाधान करने और खामियों की जांच कर पात्र मतदाताओं के नाम पुनः जोड़ने की बात कही

नीमराना. विधायक ललित यादव बंजारा बस्ती के लोगों से जानकारी लेते हुए।

हरसौरा : क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मैपिंग नहीं होने से मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए थे, उन्हें जारी किए गए नोटिसों का निस्तारण उप तहसील हरसौरा में बुधवार को किया। इस दौरान वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले 72 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार पवनेश शर्मा तथा संबंधित बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें तथा आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

#SIR: भाजपा की नींद उड़ी, एसआइआर की मॉनिटरिंग दिग्गज नेताओं को सौंपी, कांग्रेस करवा रही सर्वे

1.59 लाख मतदाताओं के नाम कटे

पत्रिका
ग्राउंड रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोटा. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) में कोटा जिले में 1.59 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। प्रदेश में भी लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। इसकी रिपोर्ट भाजपा के दिल्ली शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची तो हड़कम्प मच गया। शीर्ष नेतृत्व ने इसे अत्यंत गंभीर माना है। अब जिला स्तर पर भी एसआइआर की मॉनिटरिंग का जिम्मा प्रदेश नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता एसआइआर की डे-टुडे की प्रगति रिपोर्ट जिले से लेंगे और प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे।

इधर, कांग्रेस का आरोप है कि बीएलओ ने दबाव में कई जगह जो डबल नाम थे, उनको नहीं हटाया है। कांग्रेस ऐसे मामलों की सूची तैयार करवा रही है। वहीं बूथवार मतदाता सूचियों के बारे में सर्वे करवा रही है।

ऐसे कटे नाम

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 27 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया था। जिसके तहत 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर तक गणना के चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पहले कोटा जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 15,32500 थी जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। इसके बाद कोटा जिले के 13,72762 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर 16 दिसम्बर तक जमा करवा दिए। इस आंकड़े के अनुसार जिले में 1 लाख 59 हजार 788 मतदाताओं के नाम कट गए।

एक घर में गणना प्रपत्र भरवाते बीएलओ। फाइल फोटो

विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति

विस क्षेत्र	मतदाता	आवेदन जमा	नाम हटे
पीपल्दा	215746	201502	14244
सांगोद	214146	196396	17750
कोटा उत्तर	265251	224519	40732
कोटा दक्षिण	267574	242081	25493
लाडपुरा	307709	267627	40082
रामगंजमंडी	262124	240637	21487
कुल	1532550	1372762	159788

(11 दिसम्बर तक जिले में एसआइआर की स्थिति)

शीर्ष नेतृत्व की तल्खी

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश से लेकर जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं व विधायकों और मंत्रियों की क्लास ली। कोटा जिले में डेढ़ लाख से अधिक मृतदाताओं के नाम कटने के बारे में हर विधानसभा क्षेत्रवार, बूथवार जानकारी ली। शीर्ष नेतृत्व ने हर बूथवार विस्तृत डाटा स्टडी की। इसमें पाया गया कि जिन बूथों में हमेशा भाजपा अच्छे-खासे अंतर से चुनाव जीतती रही, वहीं ज्यादा नाम कट गए हैं। पार्टी के दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले दिनों चीसी लेकर कई बूथों का उदाहरण देते हुए प्रदेश और जिले के नेताओं की खिंचाई की थी। शीर्ष नेतृत्व ने सख्त चेताया कि यदि मात्र मतदाताओं के नाम नहीं जुड़वा पाए तो नुकसान होगा। क्योंकि आने वाले चुनाव में यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलेवार विधायकों और मंत्रियों की बजट सुझावों के नाम पर बैठकें लेकर एसआइआर पर बात की।

कोटा में इन नेताओं को सौंपा जिम्मा

भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिलेश गौतम कोटा जिला, श्रणव सिंह को कोटा शहर तथा पूर्व जिलाध्यक्ष मानसिंह को कोटा देहात में एसआइआर की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है।

अब मतदाता ऐसे जुड़वा सकेंगे नाम

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब भी संबधित मतदाता बीएलओ को संबधित दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे। मतदाता सूची के संबंध में 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्ति की जाएगी। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर ओर से 14 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

इनका कहना है...

एसआइआर कार्यक्रम के तहत जिन मतदाताओं के नाम रह गए हैं, उनके नाम जुड़वाने के लिए पार्टी ने टास्क दिया है। इसके लिए प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

राकेश जैन,
जिलाध्यक्ष, भाजपा कोटा

राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के कार्य पर निगरानी के लिए राज्यभर में प्रदेश पदाधिकारियों को लगाया गया है। ताकि एसआइआर का कार्य बेहतर हो सके।

छगन माहुर,
प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा

कांग्रेस पार्टी बूथवार मतदाता सूचियों के बारे में सर्वे करवा रही है। हमारी जानकारी में आया है कि बीएलओ ने दबाव में कई जगह डबल नाम थे, उनको नहीं हटाया है। उनकी सूची भी तैयार करवा रहे हैं। पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने का काम चल रहा है।

राखी गौतम, शहर जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कोटा

मतदाताओं को जारी नोटिस संबंधित कागजात की जांच की

श्रीगंगानगर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित रहे मतदाता एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने वाले मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस संबंधित दस्तावेजों की जांच एवं इकट्ठा करने का कार्य बुधवार को नगर परिषद सभागार में एईआरओ एवं आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव की देखरेख में किया जा रहा है। सह

नगर परिषद में एसआरआई संबंधित मांगे दस्तावेज किए इकट्ठा

प्रभारी बबीता शर्मा ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 2002 की मतदाता सूची में शामिल परिजनों का वोटर कार्ड संख्या एवं संबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं करवाने वाले मतदाताओं एवं एसआरआई के दौरान अनुपस्थित पाए गए मतदाताओं को जारी किए गए थे। इस दौरान प्राप्त नोटिस से संबंधित कागजात का विवरण निर्वाचन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके पश्चात समस्त रिकार्ड जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू को उपलब्ध करवाया जाएगा। उनसे वैरिफाई होने के पश्चात मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।